

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10 (35)नविवि/3/2010 पार्ट

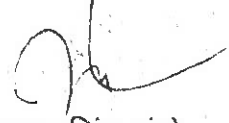
जयपुर, दिनांक 22 JUL 2010

परिपत्र

विषय :- भू-उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड में शिथिलता के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.04.2010 के बिन्दु सं. 4.5, 5.1 एवं 5.2 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल व सड़क की न्यूनतम चौड़ाई तय की गई है, किन्तु कुछ छोटे शहरों से न्यूनतम वांछित क्षेत्रफल का भूखण्ड व वांछित चौड़ाई की सड़क में शिथिलता दिये जाने बाबत स्थानीय नगरीय निकायों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। विचार-विमर्श पश्चात् ऐसे प्रकरणों में जहां व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्मित हो चुके हैं अथवा प्रस्तावित हैं में 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल व सड़क की चौड़ाई में शिथिलता दिये जाने बाबत प्रकरणों पर विचार-विमर्श हेतु निकाय स्तर पर निम्नानुसार एक कमेटी गठित की जाती है जो ऐसे प्रकरणों की जांच कर अपने स्तर पर निर्णय लेगी :-

- | | |
|--|------------|
| 1. अध्यक्ष, संबंधित स्थानीय निकाय | अध्यक्ष |
| 2. स्थानीय निकाय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी | सदस्य |
| 3. स्थानीय निकाय का विधि सलाहकार / विधि अधिकारी | सदस्य |
| 4. क्षेत्रीय, वरिष्ठ/उप नगर नियोजक | सदस्य |
| 5. नगर विकास न्यास होने की स्थिति में सचिव, नगर विकास न्यास | सदस्य |
| 6. संबंधित स्थानीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशापी अधिकारी | सदस्य सचिव |


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, नगर आयोजना एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


(निष्काम दिवाकर)
शासन उप सचिव-द्वितीय